<u>न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट</u>

उपस्थित–आशुतोष कुमार सिंह–न्यायिक सेवा उ0प्र0

मुकदमा नं0–1052 / ix / 2019

सरकार बनाम सन्तराम उर्फ सता कोरी

धारा–341,302,504,506,34 भा0द0सं0
थाना–मऊ, जिला चित्रकूट
अ0सं0–43 / 2019

<u>सत्र सुपुर्दगी आदेश</u>

थाना मऊ जिला चित्रकूट की पुलिस द्वारा मुकदमा अ0सं0–43 / 2019 में अभियुक्त सन्तराम उर्फ संता कोरी के विरूद्ध धारा 341,302,504,506,34 भा0द0सं0 के अपराध में आरोप पत्र विचारण हेतु प्रेषित किया गया है।

अभियुक्त सन्तराम उर्फ संता कोरी जेरे हिरासत न्यायालय में उपस्थित हैं।

अभियुक्त को धारा 207द0प्र0सं0 के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गई।

चूँकि अभियुक्त पर लगाया गया अभियोग माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायालय सुपुर्द किया जाता है।

दौरान सत्र परीक्षण अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में रहेगे, जब तक कि माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अन्यथा आदेश न किया जाए।

चिट्ठी मय कलेंडर तैयार कर पत्रावली अविलम्ब माननीय सत्र न्यायालय, चित्रकूट प्रेषित की जाए।

लोक अभियोजक को सत्र न्यायालय सुपुर्दगी की सूचना दी जाए। अभियुक्त दिनॉक 08.07.2019 को माननीय सत्र न्यायालय में उपस्थित हों।

(आशुतोष कुमार सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चित्रकूट।